

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 115/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

भुनेश्वर मिस्त्री ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

लिलम चौधरी वगैरह ----- द्वितीय पक्ष

आदेश

15-10-24

प्रथम पक्ष के आवेदन पर थाना प्रभारी सरिया के जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले विवादित जमीन पर दिनांक 17.08.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया।

मौजा- सिमराबेड़ा, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह

खाता नं0- 01, प्लॉट नं0- 71, रकबा- 1.10 एकड़

चौहद्दी: उ0- अन्तु सिंह, द0- परती कदीम, पू0- रास्ता, प0- निज

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए। द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित कारण पृच्छा दाखिल किया गया। अभिलेख में उपलब्ध प्रथम पक्ष के आवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विवादित भूमि प्रथम पक्ष को बन्दावेस्ती से हासिल है तथा दिनांक 30.06.2024 को द्वितीय पक्ष के सदस्यों के द्वारा वाजब्रन कब्जा करने के प्रयास के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष के द्वारा आवेदन के साथ सादा हुकुमनामा की छायाप्रति, फर्द अमीन रिपोर्ट की छायाप्रति, दो ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने कारण पृच्छा में बतलाया गया है कि उक्त भूमि उन्हें पूर्व जमींदार के द्वारा वर्ष 1933 को हुकुमनामा से प्राप्त है उनकी जमाबन्दी अंचल कार्यालय के पंजी-11 के पृष्ठ सं0- 26 भोलुम नं0- 04, पर कायम है तथा 1980 तक का रसीद निर्गत है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक सादा हुकुमनामा की छायाप्रति, खालसा रसीद की छायाप्रति, ऑफलाइन लगान रसीद की छायाप्रति उपलब्ध कराते हैं।

चुँकि प्रस्तुत वाद दखल कब्जे के बिन्दु पर अग्रेतर सुक्ष्म विश्लेषण संबंधी प्रतीत होता है तथा इस वाद में अंचल कार्यालय का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य इत्यादि की आवश्यकता होगी अतः प्रस्तुत वाद को भा०ना०सु०सं० की धारा 164 में परिवर्तित करने के प्रथम पक्ष के आवेदन की स्वीकृत किया जाता है। उक्त आदेश के साथ ही भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

उभय पक्ष को भा०ना०सु०सं० की धारा 164 के तहत नोटिस निर्गत करें तथा वाद को सुनवाई हेतु ..2.1-1-25..... को सूचीबद्ध करें।

लेखापित एवं संशोधित



15-10-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया



15-10-24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया